

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7  
संख्या:419/XXvii(7)/2008  
देहरादून:दिनांक:27 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठवे कन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति,1 उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स /पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन,ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के संबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या 394/XXvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी समझे जाएंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जाएगा।

2-यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनर्सों तथा पारिवारिक पेंशनर्सों पर(जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85 दिनांक 8-8-1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23 दिसम्बर,1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनर्सों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से लागू नई अशदान पेंशन योजना के सदस्यों,शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकरणों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3-(1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थाएँ उन कर्मचारियों पर लागू होंगी, जो दिनांक 1-1-2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हैं।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4-(1) परिलब्धियाँ—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों (सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) "वेतन"—का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर-5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड-वेतन का योग होगा, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

(3) सेवानिवृत्तिक/डेथ कम ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य महगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5-पेंशन—पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रु0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन(1-1-2006 से रु0 80,000/-) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रु0 3500/-से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रु03500/- निर्धारित की जायेगी।

6-पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा—

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियों जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हों, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 के भाग 2-4 के मूल नियम-56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जाएगा।

(5) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

**7-सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी-** सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 10.00 लाख(रु0 दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत् रहेगा।

#### **8-पारिवारिक पेंशन-**

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी। दिवंगत हुए सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" को परिभाषा पूर्ववत् निम्नलिखित होगी-

(क) दिनांक 1-1-2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है-

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए

अथवा 25 वर्ष की आयु तक जा भी पहले हो। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गांव ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित हैं।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्रिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1-1-2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा। दिनांक 1-1-2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

9-पेंशन के एक भाग का राशिकरण-पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40 प्रतिशत तक की धनराशि को संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 1-1-2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से ही लागू होगी। कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40 प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

10-इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय।

11- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 1-1-2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय:-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु

अभिलेख आदि पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे ।

12-दिनांक 1-1-2006से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैरच्युटी की 31-8-2008 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2008-09 तथा 60 प्रतिशत 2009-10 को नकद भुगतान किया जायेगा ।

13- दिनांक 1-1-2006 के बाद सेवा त्यागने/ कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जाय ।


संलग्नक- (1) राशि क्रम आगणन-सूचिका

आलोक कुमार जैन  
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या: 419(1)/XXVII(7)/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड ।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल ।
5. स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6. सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
10. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को 200 प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,  
  
(टी0एन0 सिंह)  
अपर सचिव ।

## COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
				62	8.093
20	9.188	41	9.075	63	7.982
21	9.187	42	9.059	64	7.862
22	9.186	43	9.040	65	7.731
23	9.185	44	9.019	66	7.591
24	9.184	45	8.996	67	7.431
25	9.183	46	8.971	68	7.262
26	9.182	47	8.943	69	7.083
27	9.180	48	8.913	70	6.897
28	9.178	49	8.881	71	6.703
29	9.176	50	8.846	72	6.502
30	9.173	51	8.808	73	6.296
31	9.169	52	8.768	74	6.085
32	9.164	53	8.724	75	5.872
33	9.159	54	8.678	76	5.657
34	9.152	55	8.627	77	5.443
35	9.145	56	8.572	78	5.229
36	9.136	57	8.512	79	5.018
37	9.126	58	8.446	80	4.812
38	9.116	59	8.371	81	4.611
39	9.103	60	8.287		
40	9.090	61	8.194		